प्रेषक

महानिदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
2. हरियाणा राज्य में सभी बोर्डो/निगमों के प्रबन्धक निदेशक ।
3. हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त ।
4. बाय नेम विभागो/निगमों/बोर्डो में कार्यरत लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी ।
5. 18टी खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

यादी क्रमांक 4560—टीए—हर—1टी—2016/ 4786-93
दिनांकः 14/6/16

विषयः— लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की पिछले पांच वर्षो में किस—किस विभाग में नियुक्त रहें हैं, का विवरण प्राप्त करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य में स्थित सभी कार्यालयों में कार्यरत लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकार/चौकसी विभाग से विजीलैन्स कलीरैन्स के लिए पिछले पांच वर्षो की नियुक्ति की आवश्यकता होती है जो कि खजाना तथिा लेखा विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होती है । अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यलय में कार्यरत एस0 ए0 एस0 काडर के अधिकारियों की उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग 8 महीने पूर्व इस विभाग को उनकी पिछले पांच वर्षो की नियुक्ति किस—किस विभाग में हुई का ब्यौरा, इस विभाग को भिजवाया जाये ताकि उनकी विजीलैन्स कलीरैन्स समय पर करवाई जा सके तथा मामले में विलम्ब ना हो ।

इसके अतिरिक्त जो एस0 ए0 एस0 के अधिकारी 55 वर्ष से होने वाले हो उनकी सेवापंजी सहित प्रस्ताव 55 वर्ष का होने से 6 महीने पूर्व इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संयुक्त निदेशक,
कृतेःमहानिदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 क्रमांक 4560—टीए—हर—1टी—2016/ दिनांकः

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि0 ले0 शाखा को उनके पत्र क्रमांक 16/2/2012—1वि0ले0, दिनांक 18.05.2016 के सन्दर्भ में ।

संयुक्त निदेशक,
कृतेःमहानिदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।